न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला– सीधी

रिव्यू - 1447 - II/14 (95)

/6/5/14

1. बैजनाथ गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता,
2. रामकुमार गुप्ता पुत्र भगवानदास गुप्ता
निवासीगण ग्राम कोटरा पहाडी सोनवर्षा, तहसील सिहाबल, जिला सीधी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरुद्ध

ठाकुर प्रसाद पुत्र रामनाथ गुप्ता, निवासी ग्राम कोटरा पहाडी सोनवर्षा, पोस्ट सोनवर्षा, तहसील सिहाबल, जिला सीधी (म.प्र.)

...... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1405/III/2011 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.03.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

06/05/14

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक क्रमांक 2 से आराजी नम्बर 593 रकवा 0.06 हैक्टेयर के अंशभाग (9X45) =405 वर्गफुट स्थित ग्राम कोटरा पहाडी, तहसील सिंहावल, जिला सीधी के जर्ये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 16.11.2000 को कय किया। बिकी पत्र निषादन के पूर्व उक्त आराजी आवेदक क्रमांक 2 एवं अनावेदक के नाम 1/2, 1/2 दर्ज भू–अभिलेख थी। आवेदक कमांक 2 के द्वारा अपने हिस्से के अंशभाग (9X45) =405 वर्गफुट आवेदक कमांक 1 को बिकी कर कब्जा दखल सौंप दिया और बिक्रीपत्र के आधार पर आवेदक कमांक 1 का नामान्तरण भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया तथा आवेदक कमांक 1 द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य के आराजी पर अंशभाग (9X45) =405 वर्गफुट पर दुकान मकान बनाकर आबाद है तथा आवेदक क्रमांक 2 भी अपने हिस्से में प्राप्त शेष रकवें पर मकान एवं दुकान बनाकर आबाद है, जिस पर दिनांक 30.07.2010 के पूर्व तक कोई विवाद नहीं था। अनावेदक ठाकुर प्रसाद द्वारा चोरी छिपें न्यायालय, तहसीलदार, तहसील सिंहाबल, जिला सीधी से मिलकर दिनांक 31.03.2010 को बटवारा आदेश जारी करवाकर मौके की स्थिति के विपरीत पटवारी से प्रतिवेदन तैयार कराकर आवेदकगण के कब्जे दखल ने हस्तक्षेप करने लगा तथा आवेदकगण द्वारा प्रकरण में पारित आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 02.08.2010 को दिया आदेश की प्रति दिनांक 04.08.10 प्राप्त होने पर न्यायालय अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1447–दो/14 **जिला** –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29-6-16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1405–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 28.03.14 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1447–दो/14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1405–तीन/2011 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 28.03.14 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 1447–दो/14 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य